(116)

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

II/विविध/रीवा/भू-रा/2017/645

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /2017 रेस्टोरेशन

श्री आई.पी. द्विवेदी, अधि. द्वारा आज दि. 31/5/17 को प्रस्तुत

[signature] 31/5/17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

कोर्ट-II

[signature] 31/5/17

छोटेलाल पुत्र दधिबल पटेल
निवासी ग्राम देउरा तहसील हनुमना
जिला-रीवा (म.प्र.) — आवेदक

वि.

अरविन्दकुमार पुत्र केशवप्रसाद
निवासी ग्राम देउरा तहसील हनुमना
जिला-रीवा (म.प्र.) — अनावेदक

पुनर्स्थापन (रेस्टोरेशन) आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-32 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि —

1 यह कि आवेदकगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन
आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसका प्र.क्र. 4139-II/16 पुनर्विलोकन
पंजीबद्ध होकर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख मंगाने एवं
अनावेदकगण की उपस्थिति हेतु दिनांक 15-5-17 पेशी नियत थी।

2. यह कि दिनांक 15-5-17 की पेशी अधीनस्थ न्यायालयों के
अभिलेख मंगाने एवं अनावेदकगण की उपस्थिति हेतु नियत
थी। दिनांक 15-5-17 की पेशी पर अभिलेख भी प्राप्त नहीं
हुये थे एवं अनावेदकगण भी उपस्थित नहीं हुये थे।
दिनांक 15-5-17 को आवेदक अभिभाषक श्री एम.के. श्रीवास्तव
एडवोकेट अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके एवं
उनके साथी अभिभाषक श्री इन्द्रमणि द्विवेदी एडवोकेट अपनी
रिश्तेदारी मे शादी मे शामिल होने बाहर गये थे।

3. यह कि इन्द्रमणि त्रिवेदी एडवोकेट जब वापिस लौट कर आये तब प्रकरण की जानकारी ली तब मालूम हुआ कि उक्त प्रकरण दिनांक 15-5-17 को अनुपस्थिति में खारिज कर दिया है।

4. यह कि उक्त प्रकरण में पेशी पर आवेदक उपस्थित नहीं होते थे आवेदक अधिकतर: आवेदक ने अभिभाषक नियुक्त कर दिये थे ऐसी स्थिति में भी अभिभाषक द्वारा की गई त्रुटि पर आवेदक को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये। 1984 रा. नि. 246 1986 रा. नि. 31 1990 रा. नि. 308, 1985 रा. नि. 406 अवलोकनीय है।

5. यह कि अन्य आपत्तियां तर्कों के समय अभिलेख का अवलोकन कर मौखिक रूप से निवेदन की जायेगी।

अतएव निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक 4139-II/16 पुनर्विलोकन पुनर्स्थापित (रेस्टोर्ड) कर आदेश पत्रिका दिनांक 15-5-17 आवेदक व उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति न्यायहित में क्षमा कर प्रकरण पुनर्स्थापन (रेस्टोर्ड) कर पुनर्विलोकन गुणदोषों पर निराकृत किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

स्थान ग्वालियर
दिनांक, 3/5/17

छोटेलाल — निवेदक
आवेदक
द्वारा: अभिभाषक
[signature]

II / ~~प्रकीर्ण~~ विविध केस/ हवेली / मू.21/2017-1645

9/6/17 आवेदक अधिवक्ता श्री- आई०पी० सिंह उपस्थित होकर। रिस्टोर आवेदन पर तर्क किया। उन्होंने निवेदन किया था कि वह बाहर होने के कारण केस 4139-II/16 में दिनांक 15/5/17 D.D. होगया था/ अत: उक्त आदेश को पुन: बहाल किया जावे। आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है केस 4139-II/16 पुन: बहाल पर लिया जावे कि आदेशिका जारी हो। पत्रावली रिस्टोर किया जाता है।

(हस्ताक्षर)